आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 44/12** **महेश कुमार गुप्ता बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 3764 दिनांक 31.12.10 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 2.11.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया एवं अमनौर) के द्वारा महेश कुमार गुप्ता, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति स0 57/07, ग्राम–ढोलाही, पंचायत–ढोलाही, थाना+प्रखंड–अमनौर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार हैः 1. जॉच के कम में विकेता की दूकान वंद पायी गई। 2. जॉच के कम में विकेता से संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया कि विकेता द्वारा एक कूपन पर दो लीटर ही किरासन तेल 15.00 रूपए प्रति लीटर की दर प्राप्त कर दिया जाता है। 3. जॉच के कम में उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया कि विकेता द्वारा एक वर्ष अन्त्योदय अन्न योजना एव बी.पी.एल. योजना का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है। 4. विकेता के अनुपस्थित रहने के कारण उनके भंडार का सत्यापन/कागजातों की जॉच नहीं हो सकी। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3150 दिनांक 2.11.10 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत	

किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता की अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द के विरूद्व द्वितीय कारणपृच्छा (ज्ञापांक 3261 दिनांक 15.11.10) एवं मूल भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य कागजातों के साथ विकेता को स्वयं अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 15.11.10 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परन्तु विकेता उपस्थित नहीं हुए। निबंधित डाक से द्वितीय कारणपृच्छा विकेता द्वारा भेजा गया, जो कार्यालय को दिनांक 22.11.2010 को प्राप्त हुआ। द्वितीय कारणपृच्छा में अनुलग्नक के रूप में भंडार पंजी एवं वितरण पंजी संलग्न करने की बात कही गयी है, जबकि निबंधित पत्र के लिफाफे में द्वितीय कारणपृच्छा के अतिरिक्त कोई कागजात नहीं था। विकेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विश्लेषणोपरान्त बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, बिहार राज्य कूपन योजना 2006, अनुज्ञप्ति की विभागीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन एव जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विद्व अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 2.11.10 को अपीलार्थी अपने माँ की ईलाज हेतु पटना चले गए थे। जल्दबाजी में जाने के कारण सूचनापट्ट पर अनुपस्थिति का कारण अंकित नहीं किया जा सका। यह भी बतलाया कि जो उपभोक्ता जॉच दल के समक्ष बयान दिया है वह अपीलार्थी के दुकान से संबंधित नहीं है। अपीलार्थी उचित मूल्य पर उचित मात्रा में किरासन तेल वितरण करता है। माह जून, 2010 में किरासन तेल का दर बढ़कर चौदह रूपया पॉच पैसा हो गया था। यह भी बताया गया बी.पी.एल. योजना का खाद्यान्न जनवरी, 2010 का लगाया गया ड्राफ्ट का केवल चावल मार्च, 2010 में मिला था, जो अपीलार्थी उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया। यह भी बताया कि माह सितम्बर में खाद्यान्न पचास प्रतिशत ही आपूर्ति एस.एफ.सी. गोदाम के द्वारा किया गया था। शेष राशि एस.एफ.सी. के यहॉ अवशेष रहे गया। माह अक्टूबर, 2010 का बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय योजना का खाद्यान्न का उठाव कर अपीलार्थी अपने दूकान में रख 70 उपभोक्ताओं को वितरण किया। शेष खाद्यान्न अपीलार्थी के दूकान में था। चुनाव में व्यस्त होने के कारण उपभोक्ताओं को सूचना दिया गया था कि दीपावली एवं छठ पूजा के

पहले वितरण किया जाएगा। दीपावली के पूर्व किरासन तेल का वितरण किया गया। खाद्यान्न का वितरण करने हेतु उपभोक्ताओं को सूचित कर वितरण किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्व जिन उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी, उनका नाम अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारणपृच्छा में या अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है, जिससे उनके द्वारा पारित आदेश मुखर आदेश नहीं हो पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कागजातों का सम्यक परिसीलन नहीं किया गया है। अतः ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1041 दिनांक 12/12/14

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
12/12/14